भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 441

उत्तर देने की तारीख 02 फरवरी, 2026

सोमवार, 13 माघ, 1947 (शक)

तमिलनाडु में जेएसएस का कार्यकरण

441. श्री जी. सेल्वम; श्री नवसकनी के.; श्री सी. एन. अन्नादुरई:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वयस्क शिक्षा और कौशल विकास के लिए एक प्रभावी साधन के रूप में जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) योजना को लागू कर रही है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय स्तर पर योजना का वर्तमान दायरा, कवरेज और परिणाम क्या हैं;

(ग) तमिलनाडु में वर्तमान में कार्यरत जेएसएस केंद्रों की संख्या, उनका जिलावार वितरण, नामांकन स्तर और क्षमता उपयोग का ब्यौरा क्या है और क्या कोई जिला अभी भी इससे बाहर हैं;

(घ) राज्य में प्लेसमेंट लिंकेज को मजबूत करने, महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने, पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या को आधुनिक बनाने और स्थानीय उद्योग की जरूरतों और स्वरोजगार के अवसरों के साथ प्रशिक्षण को संरेखित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या तमिलनाडु के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में जेएसएस केंद्रों की रोजगारपरकता के परिणामों, स्थिरता और प्रासंगिकता का मूल्यांकन करने के लिए सरकार द्वारा कोई स्वतंत्र प्रभाव आकलन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष और प्रस्तावित सुधारात्मक उपाय क्या हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ) जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) योजना का उद्देश्य लाभार्थी के घर पर ही अनौपचारिक तरीके से कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। इस योजना के लक्षित लाभार्थी वे व्यक्ति हैं जिनकी शिक्षा का स्तर प्रारंभिक है, और कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई छोड़ चुके छात्र हैं जिनकी आयु 15-45 वर्ष के बीच है। दिव्यांगजनों और अन्य पात्र मामलों, विशेषकर महिलाओं को आयु में छूट दी जाती है। प्राथमिकता वाले समूह ग्रामीण क्षेत्रों और निम्न-आय वाले शहरी क्षेत्रों में रहने वाली महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक हैं।

वर्तमान में, 26 राज्यों और 7 संघ राज्य क्षेत्रों में 294 कार्यरत जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) कार्य कर रहे हैं। जुलाई 2018 से दिसंबर 2025 तक, शिक्षा मंत्रालय (पूर्ववर्ती मानव संसाधन विकास मंत्रालय) से एमएसडीई को योजना के हस्तांतरण के बाद से, कुल 34.14 लाख लाभार्थियों को इस योजना के तहत प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 83% लाभार्थी महिलाएं हैं, जो इसे वयस्क शिक्षा और कौशल विकास का एक प्रभावी साधन बनाती है।

जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) में आजीविका प्रकोष्ठ हैं जो प्रशिक्षित जेएसएस लाभार्थियों, विशेषकर महिला लाभार्थियों को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी)/संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) से जोड़ने में सहायता करते हैं ताकि उनकी उद्यमशीलता और आजीविका को बढ़ावा दिया जा सके। आजीविका प्रकोष्ठ उन्हें आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त राष्ट्रीय/राज्य पोर्टल से भी जोड़ते हैं, लाभार्थियों को बाजार की आवश्यकता के अनुसार संबंधित ट्रेडों में स्वरोजगार/वेतनभोगी रोजगार अपनाने में सक्षम बनाने के लिए परामर्श सहायता प्रदान करते हैं और जेएसएस लाभार्थियों, विशेषकर महिलाओं को वित्तीय सहायता/ऋण योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए नियोक्ताओं, बैंकों/सूक्ष्म वित्त संस्थानों/राज्य सरकारों/नाबार्ड के बीच एक सेतु का काम करते हैं।

तमिलनाडु राज्य में 9 जेएसएस कार्य कर कर रहे हैं, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	**जेएसएस केंद्र**	**प्रशिक्षण का ब्यौरा**
1	चेन्नई*	2,796
2	कांचीपुरम	11,941
3	मदुरै	11,374
4	नागपट्टिनम	12,291
5	नमक्कल	13,117
6	शिवगंगा	12,274
7	थिरुवरुर	13,273
8	तिरुचिरापल्ली	11,879
9	विरुद्धनगर	11,956
कुल		**1,00,901**

*जेएसएस चेन्नई ने वर्ष 2023-24 में कार्य करना शुरू कर दिया।

जुलाई 2018 से दिसंबर 2025 तक, तमिलनाडु राज्य में इस योजना के तहत कुल 1,00,901 लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

(ङ) अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एजेएनआईएफएम), फरीदाबाद द्वारा वर्ष 2025 में तमिलनाडु सहित सभी संबंधित राज्यों में जेएसएस योजना का तृतीय-पक्ष मूल्यांकन किया गया था। समग्र योजना के लिए, मुख्य निष्कर्ष और प्रमुख सिफारिशें निम्नानुसार थीं:

(i) मुख्य निष्कर्ष/उपलब्धियाँ:

- 33.94 लाख व्यक्तियों ने नामांकन कराया; 32 लाख को प्रशिक्षण दिया गया; 31.52 लाख को प्रमाण पत्र प्राप्त हुए, सफलता दर 99% रही।
- राष्ट्रीय औसत (वित्त वर्ष 2021-25): 94.3% प्रशिक्षित और 98.5% प्रमाणित।
- कुल प्रतिभागियों में 82% महिलाएं थीं।
- 73% शिक्षार्थी हाशिए पर पड़े समूहों (अनुसूचित/अनुसूचित जनजाति: 36%, अन्य पिछड़ा वर्ग: 37%) से थे।
- अधिकांश शिक्षार्थी (66.8%) 19-35 वर्ष की आयु के थे।
- 55% विद्यार्थीयों ने 10वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की थी।
- 90% पूर्व छात्रों ने आजीविका के लिए प्रशिक्षण का उपयोग किया; 82% छह महीने के भीतर रोजगार में शामिल हो गए।
- इस योजना के कारण पहले से बेरोजगार 60% व्यक्तियों ने रोजगार प्राप्त कर लिया।
- औसत आय चार गुना बढ़कर 1,776 रुपए से 8,440 रुपए प्रति माह हो गई।

(ii) मुख्य सिफ़ारिशें:

- गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण और ब्रांडिंग के लिए क्षेत्र में प्रशिक्षण केंद्रों के लिए उचित बुनियादी ढांचे हेतु योजना के अंतर्गत जेएसएस को बजटीय प्रावधान में वृद्धि करना।
- देश के सभी शेष जिलों को शामिल करना।
- सहायता अनुदान में वृद्धि: एनएसक्यूएफ अनुपालन के न्यूनतम मानकों को पूरा करना।
- कार्यक्रम और गतिविधियों में गुणवत्तापूर्ण परिवर्तन लाने के लिए जेएसएस और प्रशिक्षण केंद्र स्तर पर बुनियादी ढांचे, सामग्री और उपकरणों में वृद्धि करना।
